न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 51/2020

सरकार बनाम महेन्द्र पुत्र मालसिंह जाति– राजपूत, निवासी– पिलोद

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 15.10.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल महेन्द्र पुत्र श्री मालसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पिलोद द्वारा रोही मौजा पिलोद की राजकीय भूमि ख.नं. 62 के कुल रकबा 0.8800 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.0084 है0 भूमि पर पक्का निर्माण नींव भरकर डी.पी.सी. लगाकर आठ ईट की ऊंचाई तक निर्माण कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से एडवोकेट सुरेन्द्र सिंह तंवर ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उक्त ख.नं. 62 में उसका कोई अतिक्रमण नही है, ख.नं. 62 के सीवं के सटकर गैर सायल की कृषि भूमि ख.नं. 64 है तथा गैर सायल अपनी स्वंय की भूमि में रिहायश हेतू मकान बना रहा है। अपने दावे के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/ सबूत पेश नही किया। जिससे उसका कब्जा विधिक सबित होता है। गैर सायल का जवाब संतोषप्रद नही माना जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु.जोहड़ है माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नादी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है।एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 24 पर
वर्ष 2020-21 में रूपये 9/- कायम किए
राजस्व लेखाकार